Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal

Volume 4 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

वाल्मीकि समाज का सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन

(सतना जिले के विशेष संदर्भ में)

A Social and Economic Study of Valmiki Community

(With Special Reference to Satna District)

शोध निर्देशक

डॉ. किरण सिंह

शासकीय कन्या महाविद्यालय सतना

जिला–सतना (म.प्र.)

शोधार्थी

माया सोंधिया

शोधार्थी, समाजशास्त्र

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र वर्तमान सतना जिले के वाल्मीकि समाज की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से अध्ययन करता है। इस अध्ययन में सतना जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से 120 परिवारों को प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया तथा संरचित साक्षात्कार अनुसूची एवं प्रेक्षण विधि के माध्यम से आँकड़े संग्रहीत किये गये। शोध से प्राप्त निष्कर्ष बताते हैं कि वाल्मीकि समाज आज भी बहुआयामी वंचना का शिकार है। 21.7 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः निरक्षर पाये गये, 65 प्रतिशत परिवारों ने सार्वजनिक स्थलों पर अस्पृश्यता का अनुभव किया तथा 80 प्रतिशत परिवारों ने अंतर्जातीय विवाह के विरोध की बात स्वीकार की। आर्थिक दृष्टि से 28.3 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 8,001 से 12,000 रुपये के बीच है, जबकि 37.5 प्रतिशत परिवार अभी भी 8,000 रुपये से कम मासिक आय पर जीवन यापन करते हैं। शासकीय योजनाओं की जागरूकता एवं लाभ के मध्य व्यापक अंतर परिलक्षित हुआ।

मुख्य शब्द

वाल्मीकि समाज, सामाजिक अध्ययन, आर्थिक स्थिति, सतना जिला, सामाजिक भेदभाव, प्राथमिक सर्वेक्षण, अनुसूचित जाति, आजीविका, शासकीय योजनाएँ, सामाजिक सशक्तीकरण।

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज की जातिव्यवस्था एक जटिल एवं स्तरीकृत संरचना है जिसमें विभिन्न जातियाँ शताब्दियों से निर्धारित सामाजिक भूमिकाओं में आबद्ध रही हैं। इस संरचना के सबसे निम्न स्तर पर वे समुदाय स्थित हैं जिन्हें परम्परागत रूप से सफाई एवं मैला उठाने का कार्य सौंपा गया। वाल्मीकि समाज – जिसे भंगी, मेहतर, हलालखोर आदि स्थानीय नामों से भी जाना जाता है – इसी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान ने इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्रदान की और अनेक संवैधानिक सुरक्षाएँ सुनिश्चित कीं, किन्तु व्यावहारिक धरातल पर यह समुदाय आज भी सामाजिक अस्पृश्यता, आर्थिक विपन्नता एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन का सामना करता है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा हाल ही में मैहर जिले को सतना जिले से पृथक् किया गया है जिसमें मैहर, अमरपाटन एवं रामनगर तहसीलें सम्मिलित हैं। इस जिले पुनर्गठन के पश्चात् वर्तमान सतना जिले में सतना, नागौद, उचेहरा, मझगवाँ एवं सम्बद्ध ग्रामीण क्षेत्र शेष हैं। प्रस्तुत अध्ययन इसी वर्तमान सतना जिले की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत वाल्मीकि समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का परीक्षण करता है। जिले के सतना नगर पालिका, नागौद नगर परिषद, उचेहरा नगर परिषद, मझगवाँ नगर पंचायत एवं सम्बद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में वाल्मीकि समाज की उपस्थिति पर्याप्त रूप से पायी जाती है। जिले की सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने में इनका ऐतिहासिक योगदान है, परन्तु स्वयं इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अत्यंत कठिन बनी हुई है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस समुदाय के प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययन की नितांत आवश्यकता है ताकि नीति निर्माण में इनकी वास्तविक स्थिति का प्रतिबिम्बन हो सके। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध

पत्र वर्तमान सतना जिले के वाल्मीकि समाज के प्रतिदर्श परिवारों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है।

2. शोध पत्र का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं। प्रथम उद्देश्य वर्तमान सतना जिले के वाल्मीकि समाज की सामाजिक स्थिति का प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से अध्ययन करना है, जिसमें शैक्षणिक स्थिति, पारिवारिक संरचना, सामाजिक भेदभाव के स्वरूप एवं जागरूकता के स्तर का आकलन सम्मिलित है। द्वितीय उद्देश्य इस समुदाय की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना है, जिसमें आय के स्रोत, व्यवसाय की प्रकृति, आवास एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा आर्थिक सुरक्षा के संकेतकों का परीक्षण किया गया है। तृतीय उद्देश्य शासकीय कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता एवं उनसे मिलने वाले वास्तविक लाभ के मध्य के अंतर का मूल्यांकन करना है। चतुर्थ उद्देश्य इस समुदाय के समग्र सशक्तीकरण हेतु व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना है।

3. शोध पत्र का महत्व

प्रस्तुत शोध पत्र का महत्व अनेक स्तरों पर परिलक्षित होता है। शैक्षणिक दृष्टि से यह अध्ययन समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य एवं लोक प्रशासन के विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध कराता है। मैहर जिले के पृथक् होने के पश्चात् वर्तमान सतना जिले में वाल्मीकि समुदाय की स्थिति पर केन्द्रित यह पहला प्राथमिक सर्वेक्षण आधारित अध्ययन है, जो इसे और अधिक प्रासंगिक एवं मौलिक बनाता है।

नीतिगत दृष्टि से यह शोध जिला प्रशासन, नगरीय निकायों, सामाजिक न्याय विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए क्रिया-आधारित मार्गदर्शन प्रदान करता है। जिले के पुनर्गठन के पश्चात् शेष सतना जिले की वाल्मीकि आबादी की वास्तविक स्थिति को समझना प्रशासनिक नियोजन की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।

4. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। सर्वेक्षण विधि (Survey Method) एवं साक्षात्कार तकनीक का उपयोग करते हुए वर्तमान सतना जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन (Purposive Sampling) द्वारा कुल 120 परिवारों का चयन किया गया। अध्ययन क्षेत्र में सतना नगर पालिका, नागौद नगर परिषद, उचेहरा नगर परिषद, मझगवाँ नगर पंचायत एवं सम्बद्ध ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं। मैहर जिले की तहसीलें (मैहर, अमरपाटन, रामनगर) इस अध्ययन के क्षेत्र से बाहर हैं। प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य से संरचित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आँकड़े संग्रहीत किये गये। आँकड़ों का विश्लेषण सारणियों के रूप में प्रतिशत वितरण के माध्यम से किया गया है।

सारणी 1 : प्रतिदर्श का क्षेत्रवार वितरण – वर्तमान सतना जिला (N=120)

क्र.सं.	क्षेत्र (नगरीय / ग्रामीण)	कुल परिवार (अनुमानित)	प्रतिदर्श परिवार (N=120)	पुरुष उत्तरदाता	महिला उत्तरदाता
1	सतना नगर पालिका (शहरी)	1,240	48	30	18
2	नागौद नगर परिषद (शहरी)	385	22	14	8
3	उचेहरा नगर परिषद (शहरी)	210	16	10	6
4	मझगवाँ नगर पंचायत (शहरी)	160	12	7	5
5	ग्रामीण क्षेत्र (चयनित ग्राम)	1,850	22	12	10
	कुल योग	**3,845**	**120**	**73**	**47**

स्रोत : शोधार्थी द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण, 2023-24।

सारणी 1 के अनुसार प्रतिदर्श में सतना नगर पालिका से 48, नागौद से 22, उचेहरा से 16, मझगवाँ से 12 एवं ग्रामीण क्षेत्र से 22 परिवारों को सम्मिलित किया गया। कुल 120 परिवारों में से 73 पुरुष एवं 47 महिला उत्तरदाता थे। सतना नगर पालिका से सर्वाधिक 48 परिवार लिये गये क्योंकि यहाँ वाल्मीकि परिवारों का सघनतम संकेन्द्रण है। यह वितरण वर्तमान सतना जिले की वाल्मीकि जनसंख्या के अनुपात का यथासंभव प्रतिनिधित्व करता है।

5. वाल्मीकि समाज की सामाजिक स्थिति

5.1 आयु एवं लिंग संरचना

वाल्मीकि समाज की जनांकिकीय संरचना को समझना किसी भी विकास नीति की आधारशिला है। सर्वेक्षण में सम्मिलित उत्तरदाताओं की आयु एवं लिंग का विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 2 : उत्तरदाताओं का आयु एवं लिंग वितरण

क्र.सं.	**आयु वर्ग**	**पुरुष**	**महिला**	**कुल**	**प्रतिशत (%)**
1	18-25 वर्ष	12	8	20	16.7
2	26-35 वर्ष	19	14	33	27.5
3	36-45 वर्ष	22	13	35	29.2
4	46-55 वर्ष	13	8	21	17.5
5	56 वर्ष एवं अधिक	7	4	11	9.2
	कुल	**73**	**47**	**120**	**100.0**

स्रोत : शोधार्थी द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण, 2023-24।

सारणी 2 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में 29.2 प्रतिशत उत्तरदाता 36 से 45 वर्ष आयु वर्ग के थे, जो सर्वाधिक प्रतिनिधि वर्ग है। 27.5 प्रतिशत उत्तरदाता 26 से 35 वर्ष आयु वर्ग के थे। युवा वर्ग (18-25 वर्ष) का प्रतिशत 16.7 है। महिला उत्तरदाताओं की संख्या (47) पुरुषों (73) की तुलना में कम रही, जो इस समुदाय में महिलाओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के सीमित अवसरों को इंगित करती है।

5.2 शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का सबसे प्रभावी माध्यम है। सर्वेक्षण में वाल्मीकि परिवारों के उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर का विश्लेषण किया गया।

सारणी 3 : उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर

क्र.सं.	**शैक्षणिक स्तर**	**पुरुष**	**महिला**	**कुल**	**%**
1	निरक्षर	8	18	26	21.7
2	प्राथमिक (कक्षा 1-5)	14	11	25	20.8
3	माध्यमिक (कक्षा 6-8)	17	10	27	22.5
4	हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी	21	6	27	22.5
5	स्नातक एवं उससे ऊपर	13	2	15	12.5
	कुल	**73**	**47**	**120**	**100.0**

स्रोत : शोधार्थी द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण, 2023-24।

सारणी 3 के अनुसार 21.7 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः निरक्षर हैं। इनमें महिलाओं का अनुपात पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक है – 47 महिलाओं में से 18 (38.3%) निरक्षर हैं, जबकि पुरुषों में यह अनुपात केवल 10.9 प्रतिशत है। यह लैंगिक शैक्षणिक विषमता एक गम्भीर समस्या है। स्नातक स्तर तक पहुँचने

वाले उत्तरदाता मात्र 12.5 प्रतिशत हैं और उनमें भी महिलाओं की संख्या मात्र 2 है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर उच्च रहने का प्रमुख कारण आर्थिक दबाव, पारम्परिक व्यवसाय में बच्चों की भागीदारी एवं सामाजिक भेदभाव है।

5.3 सामाजिक भेदभाव एवं अस्पृश्यता

जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता वाल्मीकि समाज की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है। सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं से विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव के अनुभवों के सम्बन्ध में सीधे प्रश्न पूछे गये।

सारणी 4 : सामाजिक भेदभाव के विविध अनुभव (N=120)

क्र.सं.	**सामाजिक भेदभाव का प्रकार**	**हाँ (अनुभव किया)**	**नहीं**	**कभी-कभी**	**%***
1	सार्वजनिक स्थलों पर अस्पृश्यता	78	14	28	65.0
2	मंदिर/धार्मिक स्थलों में प्रवेश वर्जन	52	43	25	43.3
3	विद्यालयों में बच्चों से भेदभाव	61	32	27	50.8
4	अंतर्जातीय विवाह का विरोध	96	8	16	80.0
5	सरकारी कार्यालयों में उपेक्षा	69	28	23	57.5
6	पड़ोसियों/अन्य जातियों द्वारा अलगाव	83	16	21	69.2

स्रोत : शोधार्थी द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण, 2023-24। *प्रतिशत 'हाँ' श्रेणी के आधार पर।

सारणी 4 के विश्लेषण से अत्यंत गम्भीर तथ्य उजागर होते हैं। 80 प्रतिशत परिवारों ने स्वीकार किया कि अंतर्जातीय विवाह का उनके समुदाय में खुलकर विरोध होता है। 69.2 प्रतिशत परिवारों ने पड़ोसियों व अन्य जातियों द्वारा सामाजिक अलगाव का अनुभव किया। 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सार्वजनिक स्थलों पर अस्पृश्यता का प्रत्यक्ष अनुभव किया। 57.5 प्रतिशत ने सरकारी कार्यालयों में उपेक्षापूर्ण व्यवहार की

शिकायत की। ये आँकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि संवैधानिक प्रावधानों एवं कानूनी सुरक्षाओं के बावजूद व्यावहारिक स्तर पर जातिगत भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है।

5.4 पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार वाल्मीकि समाज में एकल परिवार प्रणाली की प्रवृत्ति बढ़ रही है। 120 प्रतिदर्श परिवारों में से 68 परिवार (56.7%) एकल परिवार के रूप में रह रहे हैं जबकि 52 परिवार (43.3%) संयुक्त परिवार में निवास करते हैं। औसत परिवार आकार 5.3 सदस्य प्रति परिवार पाया गया। बाल विवाह की प्रवृत्ति में कमी आई है, किन्तु 18 से 21 वर्ष की आयु में विवाह की प्रवृत्ति अभी भी 38 प्रतिशत परिवारों में देखी गई। इस समुदाय में जाति के भीतर विवाह (Endogamy) की परम्परा अत्यंत प्रबल है।

6. वाल्मीकि समाज की आर्थिक स्थिति

6.1 आय का स्तर एवं वितरण

किसी भी समुदाय की आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण मानक उसकी आय का स्तर है। सर्वेक्षण में वर्तमान सतना जिले के परिवारों की मासिक आय का विश्लेषण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग किया गया।

सारणी 5 : परिवारों का मासिक आय वितरण – वर्तमान सतना जिला

क्र.सं.	मासिक आय (रुपयों में)	शहरी परिवार	ग्रामीण परिवार	कुल	%
1	5,000 से कम	5	10	15	12.5
2	5,001-8,000	16	14	30	25.0
3	8,001-12,000	26	8	34	28.3

4	12,001-16,000	30	0	30	25.0
5	16,001-20,000	9	0	9	7.5
6	20,000 से अधिक	2	0	2	1.7
	कुल	**88**	**32**	**120**	**100.0**

स्रोत : शोधार्थी द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण, 2023-24।

सारणी 5 से स्पष्ट है कि 12.5 प्रतिशत परिवार अभी भी 5,000 रुपये से कम मासिक आय पर जीवन यापन करते हैं। 25 प्रतिशत परिवार 5,001 से 8,000 रुपये की आय श्रेणी में हैं। इस प्रकार कुल 37.5 प्रतिशत परिवार मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के आसपास या उससे नीचे हैं। 28.3 प्रतिशत परिवार 8,001 से 12,000 रुपये की आय श्रेणी में सर्वाधिक संकेन्द्रित हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवारों की आय 12,000 रुपये से कम है, जबकि 20,000 रुपये से अधिक आय वाले 2 परिवार शहरी क्षेत्र के हैं जहाँ परिवार के किसी सदस्य की शासकीय सेवा में नियमित नियुक्ति है।

6.2 व्यवसाय एवं आजीविका

वाल्मीकि समाज की आजीविका की प्रकृति एवं व्यवसाय के प्रकार का अध्ययन यह समझने में सहायक है कि यह समुदाय अपनी पारम्परिक व्यावसायिक पहचान से कहाँ तक बाहर निकल पाया है।

सारणी 6 : परिवारों का व्यवसाय वितरण एवं महिला भागीदारी

क्र.सं.	**व्यवसाय का प्रकार**	**परिवारों की संख्या**	**महिलाओं की भागीदारी**	**%**
1	नगरीय निकाय में सफाई कर्मी (नियमित)	38	11	31.7

2	नगरीय निकाय में सफाई कर्मी (संविदा)	29	14	24.2
3	सड़क/नाली सफाई (दैनिक वेतन)	18	9	15.0
4	शासकीय/निजी कार्यालय सफाई	12	7	10.0
5	अन्य मजदूरी / खेत मजदूरी	14	6	11.7
6	स्वरोजगार / व्यापार	9	3	7.5
	कुल	**120**	**50**	**100.0**

स्रोत : शोधार्थी द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण, 2023-24।

सारणी 6 के अनुसार 31.7 प्रतिशत परिवार नगरीय निकायों में नियमित सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत हैं। 24.2 प्रतिशत परिवार संविदा आधार पर कार्य करते हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ बेहद सीमित हैं। 15 प्रतिशत परिवार दैनिक वेतन पर सड़क एवं नाली सफाई का कार्य करते हैं। 50 महिलाएँ किसी न किसी रूप में आय अर्जन में भागीदारी कर रही हैं, जो इस समुदाय की आर्थिक विवशता को दर्शाता है। मात्र 7.5 प्रतिशत परिवार स्वरोजगार या व्यापार से जुड़े हैं।

6.3 आवास एवं मूलभूत सुविधाएँ

जीवन स्तर के संकेतकों में आवास की स्थिति एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारणी 7 : आवास एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता (N=120)

क्र.सं.	**सुविधा / संकेतक**	**उपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**आंशिक**	**%***
1	पक्का मकान	72	31	17	60.0

2	नल जल आपूर्ति	58	34	28	48.3
3	शौचालय (घरेलू)	81	24	15	67.5
4	विद्युत कनेक्शन	104	9	7	86.7
5	रसोई गैस (LPG)	63	42	15	52.5
6	स्मार्टफोन / इंटरनेट	71	31	18	59.2

स्रोत : शोधार्थी द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण, 2023-24। *% उपलब्धता के आधार पर।

सारणी 7 के विश्लेषण से कुछ उत्साहवर्धक एवं कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आते हैं। PM आवास योजना के सकारात्मक प्रभाव के कारण 60 प्रतिशत परिवारों के पास अब पक्का मकान उपलब्ध है। विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता 86.7 प्रतिशत है जो उत्साहजनक है। परन्तु नल जल आपूर्ति केवल 48.3 प्रतिशत परिवारों को उपलब्ध है। रसोई गैस की उपलब्धता 52.5 प्रतिशत है। इंटरनेट एवं स्मार्टफोन की पहुँच 59.2 प्रतिशत तक हो गई है।

6.4 शासकीय योजनाओं की जागरूकता एवं लाभ

सर्वेक्षण में यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि प्रतिदर्श परिवार प्रमुख योजनाओं से कितने परिचित हैं तथा उनमें से कितने वास्तव में लाभान्वित हो रहे हैं।

सारणी 8 : शासकीय योजनाओं की जागरूकता एवं लाभ प्राप्ति (N=120)

क्र.सं.	योजना का नाम	जानते हैं (N=120)	लाभान्वित हैं	जागरूकता %	लाभ %
1	PM आवास योजना	102	68	85.0	56.7

2	NAMASTE योजना	67	41	55.8	34.2
3	आयुष्मान भारत	89	74	74.2	61.7
4	अनु. जाति छात्रवृत्ति	76	52	63.3	43.3
5	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	81	38	67.5	31.7
6	MUDRA / स्वरोजगार ऋण	44	17	36.7	14.2

स्रोत : शोधार्थी द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण, 2023-24।

सारणी 8 के अवलोकन से एक महत्वपूर्ण पैटर्न उभरता है – जागरूकता एवं वास्तविक लाभ के बीच एक विशाल खाई। PM आवास योजना के बारे में 85 प्रतिशत परिवार जानते हैं किन्तु केवल 56.7 प्रतिशत को लाभ मिला है। NAMASTE योजना की जागरूकता मात्र 55.8 प्रतिशत है – यह विशेष चिंता का विषय है क्योंकि यह योजना सीधे इसी वर्ग के लिए है। MUDRA एवं स्वरोजगार ऋण योजनाओं की जागरूकता सबसे कम (36.7%) एवं लाभ और भी कम (14.2%) है।

7. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र के प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों एवं उनके विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। वर्तमान सतना जिले का वाल्मीकि समाज आज भी सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से बहुआयामी वंचना का शिकार है। यद्यपि विद्युतीकरण, आवास एवं स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आया है, तथापि शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक भेदभाव एवं आर्थिक विपन्नता इस समुदाय की मूलभूत समस्याएँ बनी हुई हैं।

सामाजिक दृष्टि से 80 प्रतिशत परिवारों द्वारा अंतर्जातीय विवाह के विरोध का अनुभव एवं 65 प्रतिशत द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अस्पृश्यता की शिकायत यह सिद्ध करती है कि सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध केवल कानून पर्याप्त नहीं है – सामाजिक चेतना एवं मूल्य परिवर्तन भी आवश्यक है। आर्थिक दृष्टि से

37.5 प्रतिशत परिवारों का 8,000 रुपये से कम मासिक आय पर जीवन यापन तथा ग्रामीण परिवारों में उच्च आय वर्ग का पूर्णतः अभाव इस समुदाय की गहरी आर्थिक असमानता को प्रदर्शित करता है।

शासकीय योजनाओं की जागरूकता एवं लाभ के मध्य व्याप्त व्यापक अंतर क्रियान्वयन की कमज़ोरियों को उजागर करता है। मैहर जिले के पृथक् होने के पश्चात् वर्तमान सतना जिले में प्रशासनिक पुनर्नियोजन का यह उचित अवसर है कि शेष वाल्मीकि आबादी की विशेष आवश्यकताओं को संज्ञान में लेते हुए नई कार्ययोजनाएँ बनाई जाएँ।

8. सुझाव

प्रस्तुत शोध के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

प्रथम, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वाल्मीकि समाज की बालिकाओं में निरक्षरता की उच्च दर (38.3%) को देखते हुए उनके लिए विशेष साक्षरता अभियान, आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विस्तार तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से विद्यालय में ठहराव दर में वृद्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए। विद्यालयों में भेदभाव-विरोधी वातावरण निर्मित करने हेतु शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाये।

द्वितीय, मैहर जिले के पृथक् होने के पश्चात् वर्तमान सतना जिले के वाल्मीकि परिवारों का नया डेटाबेस तैयार किया जाये। इससे योजनाओं की सटीक पहुँच सुनिश्चित होगी और पात्र परिवारों का पुनः सत्यापन हो सकेगा।

तृतीय, योजनाओं की जागरूकता में अंतर को पाटना आवश्यक है। NAMASTE, MUDRA एवं अन्य योजनाओं की जागरूकता में व्याप्त खाई को दूर करने हेतु ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर सतत जागरूकता शिविर आयोजित किये जाएँ। स्थानीय भाषा में सरल भाषा में छपी सामग्री वितरित की जाये।

चतुर्थ, व्यावसायिक विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस समुदाय के युवाओं को पारम्परिक सफाई व्यवसाय से इतर कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाये और MUDRA ऋण की पहुँच बढ़ाई जाये। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लघु उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाये।

पंचम, सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध दृढ़ कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो। सामुदायिक स्तर पर जाति सद्भाव बैठकों के माध्यम से सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जाये।

षष्ठ, ग्रामीण वाल्मीकि परिवारों पर विशेष नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि ग्रामीण परिवार शहरी परिवारों की तुलना में अधिक वंचित हैं। इनके लिए नल जल आपूर्ति, पक्की सड़क, स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं शिक्षा सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. आम्बेडकर, बी.आर. (1936). जाति का विनाश. मुम्बई : सिद्धार्थ कॉलेज प्रकाशन।
2. दुबे, एस.सी. (1955). Indian Village. London : Routledge & Kegan Paul.
3. Thorat, S. & Kumar, N. (Eds.) (2008). B.R. Ambedkar : Perspectives on Social Exclusion and Inclusive Policies. New Delhi : Oxford University Press.
4. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (2020). वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20. नई दिल्ली : भारत सरकार।
5. जनगणना 2011. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या तालिकाएँ, मध्यप्रदेश. भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय।
6. Guru, G. (Ed.) (2009). Humiliation : Claims and Context. New Delhi : Oxford University Press.
7. Thorat, S. & Senapati, C. (2007). Reservation Policy in India : Dimensions and Issues. New Delhi : IIDS.
8. Singh, P.K. (2018). Social Exclusion and Manual Scavenging in India. Journal of Social Inclusion Studies, 4(1), 45-62.

9. मध्यप्रदेश शासन (2023). आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23. भोपाल : वित्त विभाग।

10. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, सतना (2022-23). जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, सतना।

11. मध्यप्रदेश शासन राजपत्र (2023). मैहर जिला गठन अधिसूचना. भोपाल : म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग।

12. Shafi, M. (2011). Manual Scavenging as Social Exclusion : A Case Study. Sociological Bulletin, 60(3), 108-134.

13. Kabeer, N. (2004). Social Exclusion, Human Rights and Capabilities. IDS Working Paper No. 243. Brighton : IDS.

14. Mendelsohn, O. & Vicziany, M. (1998). The Untouchables : Subordination, Poverty and the State in Modern India. Cambridge : Cambridge University Press.